।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 5382/12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 01/06 2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी का पत्रांक 3447/FP/UK/ROAD/10617/2015 दिनांक 18.05.2016.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/195/2016/एफ0सी0/309 दिनांक 12.05.2016 से निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या एवं डिमांड मांग पत्र इस कार्यालय की पत्र सं0 2070/12–1 दिनांक 02.12.2016 द्वारा प्रेषित की गई थी, डिमाण्ड पत्र पुनः संशोधित नये दरों से प्रेषित किया जा रहा हैः–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल डांगतोली सिविल सोयम भूमि के 3.506 है0 पर यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु 3.506 है0 X 253322.00= 8,88,147.00(रू0 आठ लाख अठ्ठासी हजार एक सौ सैंतालीस) की धनराशि जमा की जानी है एवं उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जाना है।
2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित वृक्षो की गणना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.2 Open Forest ईको क्लास–V की निर्धारित धनराशि 6,57,000.00 x 1.753=11,51,721.00 (रू0 ग्यारह लाख इक्कावन हजार सात सौ इक्कीस मात्र) जमा की जानी है।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन मे एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनबद्वता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– शर्त सं0–4 के अनुपालन शर्तो की अनुपालन आख्या तथा समस्त देयकों के भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑलाईन किया जायेगा।

5-- शर्त सं0 5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के किनारें तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip planation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।

अतः आप शासन द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित की अनुपालन आख्या/ऑनलाईन चालान को अपलोड कर नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर शर्तो में उल्लिखित निम्नानुसार धनराशि का भुगतान एवं शर्तो का अनुपालन करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नको सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।